

सं. 44/1/2007-आरई
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन सं. 23719637; फैक्स सं. 23717519

नई दिल्ली, 5 जून, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन (डीडीजी) के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन सहायता समूह (आईएसजी) का गठन

11वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन विकेंद्रीकृत वितरण उत्पाद के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी दिशानिर्देश 12 जनवरी, 2009 के समसंख्यक आदेश के जरिए जारी किए गए थे।

2. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के खंड 13.1 के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय ने एक कार्यान्वयन सहायक समूह का गठन किया है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है-

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री कपिल मोहन, निदेशक, विद्युत मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री डी.के.तिवेटिया, निदेशक, एमएनआरई	सदस्य
3.	श्री संजय वाजपेयी, वैज्ञानिक-ई- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री आर.के.सीकरी, महाप्रबंधक, एनटीपीसी	सदस्य
5.	श्री बी.आर.श्राफ, कार्यकारी निदेशक (परामर्श), एनएचपीसी	सदस्य
6.	श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी), आरईसी	सदस्य
7.	श्री सुनील ढींगरा, अधिसदस्य(फेलो), टेरी	सदस्य
8.	श्री सुबोध गर्ग, महाप्रबंधक, आरईसी	संयोजक

3. कार्यान्वयन सहायता समूह की भूमिका और दायित्व इस प्रकार होंगे-
परियोजना विकासकर्ताओं की वित्त- व्यवस्था संबंधी एजेंसी और सिंगल-विंडो को सभी आंकड़ा/सूचना के लिए सहायता देना

- (i) ग्रामों/परियोजना के तहत दोनों का अभिनिर्धारण
- (ii) निम्नलिखित के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्टें और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और जांचसूची तैयार करना
 - रिपोर्टों की विषय -वस्तु

- मूल्यांकन मापदंडों का अनुपालन
 - प्रत्येक चरण में अनापत्तियों और अपेक्षाओं की सूची तैयार करना।
- (iii) निम्नलिखित के संबंध में परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश और मापदंड तैयार करें
- परियोजना कार्यान्वयन सहायता
 - परियोजना मानीटरिंग
 - गुणवत्ता आश्वासन
 - क्षमता निर्माण
 - परियोजना समापन
 - प्रचालन चरण सहायता
- (iv) आरईसी को सहायता -
- तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन
 - परियोजना मानीटरिंग
 - स्कीमों के कार्यान्वयन संबंधी एम.आई.एस. सहायता
 - परियोजना कार्यान्वयन और प्रचालन के सभी चरणों के लिए दिशानिर्देश और प्रक्रिया तैयार करना
 - गुणवत्ता बेंचमार्क मापदंड तय करना
 - मानीटरिंग बेंचमार्क का प्रावधान करना और लक्ष्यों की जांच करना
- (v) निम्नलिखित के लिए विस्तृत दिशानिर्देश ब्यौरे एवं जांच सूची तैयार करना
-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति (परियोजना के अनुमोदन के लिए)
- कार्यान्वयन सहायता गुष्प/आरईसी और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच समन्वय और अंतः संबंधों के बारे में प्रक्रिया दिशानिर्देशों के माध्यम से विस्तार से बताया जाएगा।
- (vi) अनुदान उपयोग की लेखापरीक्षा करना
- (vii) स्कीम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं और किए जाने वाले कार्यों का डेटा विवरण रखना
- (viii) सभी हितधारकों के लिए सिंगल-विंडो
- डेटा/सूचना सहायता
 - नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के बारे में क्षमता निर्माण और जागरूकता
 - परियोजना के लक्ष्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण
- (ix) नई प्रौद्योगिकियों के आधार पर लागू परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए सूची तैयार करना

1. श्री आर.के.सीकरी, महाप्रबंधक, एनटीपीसी कार्यान्वयन सहायता समूह के सदस्य के रूप में एनटीपीसी की परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं करेंगे।

(अरूण कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 23719637

ई-मेल : arunk.singh@nic.in

सेवा में

1. श्री कपिल मोहन, निदेशक, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
2. श्री डी.के.तिवेटिया, निदेशक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, सीजीओ कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3. श्री संजय वाजपेयी, वैज्ञानिक-ई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली
4. श्री सुनील ढींगरा, अधिसदस्य (फेलो), टेरी, दरबारी सेठ ब्लॉक, आईएचसी कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
5. श्री आर.के.सीकरी, महाप्रबंधक, एनटीपीसी, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
6. श्री बी.आर.श्राफ, कार्यकारी निदेशक (परामर्श), एनएचपीसी एनएचपीसी आफिस कांप्लेक्स, सेक्टर -33, फरीदाबाद
7. श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी), आरईसी, कोर -4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
8. श्री सुबोध गर्ग, महाप्रबंधक, आरईसी, कोर -4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली